रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
6 FEB 1978
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 1978/माघ 13, 1899

No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 1978/MAGHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1978

का. आ. 59(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के आदेश संख्या का. आ. 702 (अ) तारीख 30 सितम्बर, 1977 के साथ प्रकाशित सरसों का तेल (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1977 को विखंडित करती है :—

परन्तु, ऐसे विखंडन का—

(क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात, या

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड ; या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार ;

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया था ।

[फि. सं. 26(16)/77-ई. सी. आर.]

टी. बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1978

S.O. 59(E).- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Mustard Oil (Price Control) Order, 1977, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies and Co-operation No. S.O. 702 (E) dated the 30th September, 1977 :

Provided that such rescission shall not affect—

(a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[F. No. 26(16)/77-ECR]

T. BALAKRISHNAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978